न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी-(मांगी लाल) RAS
वादपत्र अन्तर्गत धारा- 88 आर.टी.ए.
प्रकरण संख्या- 030/2025

सुशील कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी झाम्बर की ढाणी जिला हनुमानगढ

-वादी

बनाम

1 जगदीश प्रसाद पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी झाम्बर की ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ
2 माया पत्नी मदन लाल पुत्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी 11 एम.डबल्यू.एम चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ
3 सुनीता पत्नी पवन कुमार पुत्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी 11 एम.डबल्यू.एम चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ
4 पुष्पा पत्नी भालाराम पुत्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी 11 एम.डबल्यू.एम चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ
5 राजपाल पुत्र कविता पत्नी प्रेम कुमार पुत्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी 11 एम. डबल्यू.एम चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ
6 संजय पुत्र तारो पत्नी भालाराम पुत्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी 11 एम.डबल्यू.एम चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ

-ःप्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री सुरेन्द्र सिहाग – अधिवक्ता वादी
2. श्री भीम खिलेरी – अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 6
3. राज पैरोकार – प्रतिवादी सं.

–:निर्णयः–

दिनांक 14.02.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि सजरा खानदान अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के पिता व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के नाना प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश प्रसाद के नाम वाके चक 8 एस.एस.डबल्यू की खाता संख्या 161 की कुल 9.867 है0 भूमि मे से 2/3 हिस्सा (6.578 है.) भूमि संयुक्त खाता मे दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबंदी सम्वत 2077-2080 हमराह पेश है।

यह कि अर्जीदावा की दफा 2 मे वर्णित भूमि पूर्व मे मुझ वादी के दादा स्व हरीराम की भूमि थी जो उनके फौत होने के पश्चात बसिलसिला [illegible] मुझ वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश प्रसाद पर औद हुई। उक्त भूमि हिन्दु संयुक्त [illegible] पैतृक भूमि है जिसमे मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को बर्थ राईट हासिल है चूंकि हिन्दु संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तथा अन्य सम्पति क अलावा अर्जीदावा की दफा 2 मे वर्णित भूमि का आपस मे [illegible] बंटवारा (पारिवारिक समझौता) कर लिया है। प्रतिवादीया संख्या 2 ता 6 ने अपने हक हिस्सा [illegible] भूमि का मुझ वादी व प्रतिवादीया संख्या 1 के पक्ष मे हक त्याग कर दिया है। प्रतिवादीया संख्या 2 ता 6 के हक त्याग करने के पश्चात् मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने आपस मे घरु बंटवारा कर लिया है। मुताबिक घरु बंटवारा पारिवारिक समझौता मुझ वादी सुशील कुमार को चक 8 एस.एस. डबल्यू खाता संख्या 161 की कुल 9.967 है0 मे मुझ वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 13:02:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रसाद के संयुक्त खाता मे दर्ज 2/3 हिस्सा यानि 6.578 हैक्टेयर मे से 5.060 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। परू बंटवारा के तौर से ही मुद्ध वादी व प्रतिवादी संख्या 1 अपने परू बंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि पर काबिज रहकर बिना किसी रोक टोक के काश्त कर रहे है। परन्तु अभी तक राजस्व रिकार्ड मे भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित होने के कारण मुद्ध वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः वादी घोषणा इस अमर की प्राप्त करने का अधिकारी है कि चक 8 एस.एस.डबल्यू. खाता संख्या 161 की कुल 9.967 है0 मे प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश प्रसाद के नाम संयुक्त खाता मे दर्ज 2/3 हिस्सा यानि 6.578 है0 मे से 5.060 है0 का वादी सुशील कुमार खातेदार काश्तकार है।

यह कि वादी ने प्रतिवादीगण से इस बाबत निवेदन किया तो पहले तो वे टाल मटोल कर रहे बाद में मुकाम झाम्बर की ढाणी में साफ इन्कार हो गये। यही वाद कारण है।

यह कि वाद वादी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार मे है जो उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे-
क- घोषणा फरमाई जावे कि चक 8 एस.एस.डबल्यू. खाता संख्या 161 की कुल 9.967 है0 मे प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश प्रसाद के नाम संयुक्त खाता मे दर्ज 2/3 हिस्सा यानि 6.578 है0 में से 5.060 है0 का वादी सुशील कुमार खातेदार काश्तकार है।

वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता भीम खिलेरी ने वकालतनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 ने दावा में राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा के दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व राजीनामा के आधार पर वाद, वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः वाद वादीगण निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है कि:- चक 8 एस.एस. डब्ल्यू. जमाबंदी संवत् 2077-80 के खाता सं. 161 में दर्ज कुल तादादी 9.867 हैक्टेयर में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा 2/3 अर्थात 6.578 हैक्टेयर में से वादी सुशील कुमार को 5.060 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार प्रतिवादी सं. 1 जगदीश प्रसाद का हिस्सा उक्त खाता से कम किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, [illegible] की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। राजीनामा निर्णय का अभिन्न [illegible]

निर्णय आज दिनांक 14-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोटः- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 13:02:39 IST
Reason: SelfAttested

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ